अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गॉधी नरेगा)

क्रमांकः एफ 1 (14) ग्रावि/नरेगा/वेज/2010 जयपुर दिनांकः 21 OCT 2013

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषय :– **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत (मनरेगा) श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में विलम्ब होने बाबत।**

संदर्भ :– **ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दि. 24.09.2013**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत (मनरेगा) श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में विलम्ब होने बाबत मुआवजा आदि के सम्बन्ध में महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची–2 के पैरा 30 (प्रतिलिपि संलग्न) में संशोधन किया गया है। इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि इन निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावे एवं इस हेतु आप द्वारा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

भवदीय

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(कुलदीप रांका)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :–

1. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. समस्त।
2. श्री रिंकू, एमआईएस मैनेजर, कार्यालय हाजा को ई–मेल करने हेतु।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 24 सितंबर, 2013

का.आ..... (अ)--केंद्रीय सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, अधिनियम की धारा 27 के प्रयोजनों के लिए, अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, तंत्र के समाधानप्रद रूप से कार्य करने के लिए, उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 30 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"30 (क) मस्टर रोल के बंद होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर मजदूरी का संदाय न करने की दशा में, मजदूरी मांगने वाला मजदूरी के संदाय में विलंब के लिए मस्टर के बंद होने के दिन से सोलहवें दिन से परे पंद्रह दिन के विलंब के लिए असंदत्त मजदूरी के एक चौथाई की दर से और यदि मस्टर के बंद होने के दिन से तीस दिन की अवधि के परे विलंब होता है तो, असंदत्त मजदूरी के आधे की दर से प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(ख) उस तारीख से जिसको प्रतिकर संदेय होता है, से पंद्रह दिन से परे प्रतिकर के संदाय में विलंब का भुगतान उसी रीति में किया जाएगा जैसाकि मजदूरी के संदाय में विलंब के लिए किया जाता है ।

(ग) मजदूरी के संदाय में जवाबदेही का सुनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए विभिन्न कृत्यकारियों या निकायों द्वारा मजदूरी के संदाय में विलंब के लिए उत्तरदायित्व नियत करने के लिए राज्य मजदूरी के अवधारण और संदाय की प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में विभाजित करेंगे, अर्थात्:-

(i) कार्य का माप;

(ii) मस्टर रोल और मापों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सॉफ्ट (एनईआरजीएसॉफ्ट) में प्रविष्ट करना ;

(iii) मजदूरी सूचियों का सृजन करना;

(iv) निधि अंतरण आदेशों को अपलोड करना (एफटीओज) ; और

(v) विनिर्दिष्ट कृत्य के निवर्हन के लिए उत्तरदायी कृत्यकारी या अभिकरण के साथ प्रक्रमवार अधिकतम समय-सीमा विहित करना ।

(घ) एनआरईजीएसॉफ्ट या सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी प्रणाली) में मस्टर रोल के बंद होने की तारीख और मजदूरी मांगने वालों के खातों में मजदूरी जमा करने की तारीख के आधार पर मजदूरी मांगने वालों को संदेय प्रतिकर की स्वतः संगणना करने के लिए उपबंध होगा ।

(ङ) राज्य सरकार सम्यकतः सत्यापन करने के पश्चात् उपपैरा (क) में विहित समय सीमा के भीतर मजदूरियों के संदाय में विलंब के लिए प्रतिकर की रकम का संदाय करेगी और तत्पश्चात् मजदूरियों के संदाय में विलंब के लिए इस प्रकार संदत्त प्रतिकर की संदत्त

रकम को, सम्यक सत्यापन के पश्चात्, उन कृत्यकारियों या अभिकरणों से वसूलेगी जो संदाय में विलंब के लिए उत्तरदायी हैं ।

(च) जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चय करें कि मजदूरियां या प्रतिकर, यदि कोई हो, उपपैरा (क) के अधीन तदनुसार विहित सीमाओं के भीतर दिए जाते हैं और मजदूरियों और प्रतिकर की संगणना के लिए प्रणाली को प्रचालित रखें ।

(छ) मजदूरियों के संदाय में विलंब के दिनों की संख्या, वह प्रतिकर जिसके लिए पात्र हैं और वास्तविक रूप से संदत्त को मानीटरी और सूचना प्रणाली (एमआईएस) और श्रम बजट में उपदर्शित किया जाएगा ।"

(फा. सं. जे-11011/2/2010 -एमजीएनआरईजीए)

24/7

(आर. सुब्रहमण्यम)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की अनुसूची (2) का पहला संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 324(अ), तारीख 6 मार्च, 2007 द्वारा किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गयाः-

1. का.आ. 820(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2008
2. का.आ. 2188(अ), तारीख 11 सितंबर, 2008
3. का.आ. 2999 (अ), तारीख 31 दिसंबर, 2008
4. का.आ. 513(अ), तारीख 19 फरवरी, 2009
5. का.आ. 2266(अ), तारीख 30 सितंबर, 2011
6. का.आ.1022 (अ), तारीख 4 मई, 2012